भारतसरकार

ग्रामीणविकासमंत्रालय

ग्रामीणविकासविभाग

लोकसभा

अतारांकितप्रश्नसं. 413

(04 फरवरी, 2025 कोउत्तरदिएजानेकेलिए)

मनरेगा के कार्यान्वयन में चुनौतियां

413. डॉ .कलानिधि वीरास्वामी :

क्या**ग्रामीण विकास मंत्री**यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है;

(ख) सरकार द्वारा मनरेगा के अंतर्गत विलंबित भुगतान और समय पर नौकरी की उपलब्धता की कमी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल की आर्थिक चुनौतियों के विशेष आलोक में ग्रामीण रोजगार और आय के स्तर पर मनरेगा के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(घ) राज्य और स्थानीय स्तर पर मनरेगा निधि के प्रबंधन में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने ग्रामीण समुदायों के बीच मनरेगा के अंतर्गत उनके अधिकारों और पात्रता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की जा रही पहलों का व्यौरा प्रदान किया है और यदि हां , तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। मंत्रालय किसी भी भावी समस्यों को दूर करने और कार्यान्वयन रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए समय-समय पर योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि योजना न केवल अपने उद्देश्यों को पूरा करती है बल्कि ग्रामीण भारत की उभरती जरूरतों के अनुकूल भी है।

महात्मा गांधी नरेगा का कार्यान्वयनकिसी महत्वपूर्ण चुनौती के बिनाआगे बढ़ रहा है , जिसे पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष में पर्याप्त संख्या में सृजित श्रम-दिवसों और पूर्ण किए गए कार्यों से देखा जा सकता है।:-

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (दिनांक 28.01.2025 तक)
सृजित श्रम दिवस [करोड़ में]	363.19	293.7	308.69	233.72
पूर्ण कार्यों की संख्या [लाख में]	89.96	94.45	84.24	73.93

(नरेगा सॉफ्ट के अनुसार)

(ख) और (ङ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार , लाभार्थियों को काम के मस्टर रोल के बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान पाने का अधिकार है। भारत सरकार ने समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है। मंत्रालयराज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय में समय पर मजदूरी के भुगतान में सुधार के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर भुगतान आदेश बनाने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के तहत श्रमिकों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:

(i) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) का उन्नयन
(ii) मजदूरी का समय पर भुगतान, लंबित मुआवजा दावों का सत्यापन आदि की कार्यनीति बनाने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श।
(iii) समय पर भुगतान और मुआवजे के भुगतान की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्माण।
(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विभिन्न बैठकों के दौरान , जिनमें वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए बैठक , मध्यावधि समीक्षा बैठक , मासिक समीक्षा बैठक और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों का दौराशामिलहै , मजदूरी केसमय पर भुगतान और विलंब मुआवजे के भुगतान से संबंधित मामलोंकीनियमितरूप से समीक्षा की जाती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने का एक अधिनियम है , जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पत्येक परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक है , को कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है।केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी नरेगायोजनाके तहत ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इनमें शामिल हैं , (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 के प्रावधानों के व्यापक प्रसार के लिए दीवार चित्रकला सहित उपयुक्त सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान शुरू करना, (ii) मांगपंजीकरण प्रणाली के दायरे और कवरेज का विस्तार करना ताकि यह सुनिश्चित कियाजा सकेकि महात्मा गांधी नरेगा के तहत काम की मांगअनदेखान हो।

(ग): भारत सरकार ने 2020 में नीति आयोग द्वारा प्रायोजित घरेलू आय में वृद्धि , गरीबी उन्मूलन आदि के संदर्भ में तीसरे पक्ष के अध्ययन के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन का आकलन किया है। अध्ययन के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(i) महात्मा गांधी नरेगा सामाजिक संरक्षण , आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक सशक्तीकरण पर अपने प्रभाव के माध्यम से ग्रामीण भारत में समावेशी विकास के लिए एक शक्तिशाली साधन है।

(ii) महात्मा गांधी नरेगा योजना टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन , बेहतर जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के माध्यम से गरीबों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करती है।

(iii) महात्मा गांधी नरेगा योजना ने कृषि उत्पादन में सुधार करके घरेलू आय में वृद्धि के माध्यम से परिवारों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

(iv) महात्मा गांधी नरेगा योजना से ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

(v) अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के साथ-साथ सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदाय भी महात्मा गांधी नरेगा योजना से लाभान्वित होते हैं और इसमें शामिल भी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक हो सकता है।

(घ):ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिनियम के प्रावधानों और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के कुशल क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

1. ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन।
2. लोकपाल की नियुक्ति के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र।
3. राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता एवं केंद्रीय टीमों द्वारा निगरानी।
4. आंतरिक लेखापरीक्षा का आयोजन।
5. क्षेत्र अधिकारी ऐप के माध्यम से निगरानी।
6. सामान्य समीक्षा मिशन और निष्पादन समीक्षा समिति।
7. उपस्थिति दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) का उपयोग।
8. नागरिकों की प्रतिक्रिया और जानकारी प्राप्त करने के लिए जनमनरेगा ऐप

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए गए कुछ तकनीकी कार्यकलाप निम्नानुसार हैं।:

1.जीआईएस आधारित योजना- अंतरिक्षप्रौद्योगिकीकाउपयोग: देश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए संतृप्ति मोड में रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत स्तरीय योजना (रिजसेघाटीतककादृष्टिकोण) तैयार करना।

2. युक्तधारा: जीआईएस आधारित योजना उपकरण – ग्राम पंचायत स्तर पर जीआईएस आधारित योजना को सरल बनाने के लिए , इसरो-एनआरएससीकेसहयोगसेयुक्तधारा, एक भू-स्थानिक योजना पोर्टलविकसित किया गया है।

3. सिक्योर - रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उपयोग करके अनुमान गणना हेतु सॉफ्टवेयर: इस एप्लिकेशन का उपयोग योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों के अनुमानित लागत की गणना के लिए किया जा रहा है।

4. जियो-मनरेगा:इस ऐप को तकनीक का उपयोग करके परिसंपत्तियों के निर्माण को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है , जिसमें परिसंपत्ति निर्माण के "पहले", "दौरान" और "बाद" चरणों में जियोटैगिंग की जाती है। अब तक कुल 6.21 करोड़ परिसंपत्तियों को जियोटैग किया जा चुका है।

5. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने और लीकेज को कम करने के लिए, मजदूरी भुगतान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली को अपनाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, मजदूरी के 99% से अधिक भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से डीबीटी प्रणाली के माध्यम से श्रमिकों के खातों में जमा किए जाते हैं।

6. आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली:डीबीटी प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए लाभार्थियों के खातों में मजदूरी का भुगतान आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। कुल 13.41 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से 13.34 करोड़ सक्रिय श्रमिकों के आधार जोड़े जा चुके हैं।

******